

Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री भंवर खां मुसलमान वगै

बनाम

शंकरलाल महाजन

किस्म मुकदमाप्रा.पत्र

212 आर.टी.एक्ट.....न.

196 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.06.2017	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 कॅम्प मुकाम मेघरास में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम मेघरास पटवार हल्का मेघरास भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित नवीन नम्बरान खतौनी संख्या 463 आराजी सख्यां 2088, 2089 रकबा 01-09 बीघा आराजीयात जो वर्तमान में विपक्षी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।</p> <p>बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक रेकार्ड में प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम पर दर्ज थी, जिस पर प्रार्थीगण का अनवरत् काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नही है। यदि भविष्य में विपक्षी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षती होगी एवं वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एवं मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावे।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम मेघरास पटवार हल्का मेघरास भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित नवीन नम्बरान खतौनी संख्या 463 आराजी सख्यां 2088, 2089 रकबा 01-09 बीघा में राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 के विधिक वारिसानो को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पांबद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाडा